देह और अंग दान एक पुण्य कार्य

मेडिकल कालेज में देह दान व अंगदान पर जागरूकता कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, बिजनौर: [illegible]

मेडिकल कालेज में जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद छात्र व चिकित्सक • [illegible]

[illegible]

मैथ्स क्विज में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

[illegible]

इंवेस्टीचर सेरेमनी में हर्ष हेड ब्वाय और दिव्यांगना हेड गर्ल चुनी गईं

[illegible]

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रांक: [illegible] / 4491 / 2026–7 दिनांक: 20.08.2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक एस0एस0ए0 / 4251–57 / 2026–27 दिनांक 13.08.2026 के द्वारा 104 को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर का चयन / आबद्धीकरण किये जाने हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म स्टॉल आउट सर्विसेज के माध्यम से निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता के अनुसार सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है–

रिक्त पद का नाम एवं संख्या	शैक्षिक अर्हता, अनुभव एवं मानदेय
ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर, 104 पद उचित (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)	विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हों आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा / एन0टी0टी0 सी0टी0 (नर्सरी / डी0पी0एस0ई0) का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आयु सीमा 21–40 (01 जुलाई 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो)

इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20.08.2026 से 27.08.2026 तक सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

डा0 [illegible]
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आज भी कारगर

जागरण संवाददाता, बिजनौर: [illegible]

[illegible]

विद्यार्थियों ने कंप्यूटर पर आकर्षक डिजाइन बनाकर दिखाई प्रतिभा

[illegible]

Kalyan Singh Super Speciality Cancer Institute
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-(226002)
[illegible]

Recruitment for Senior Resident (HB)
Through Walk-in-interview

Applicants are invited for the vacant post of Senior Residents (HS) for 01 year in various departments of Institute.

The details are as below:-

Date & Time of interview : 31.08.2026, 09:30 AM
Venue : Admin Block at KSSSCI, Lucknow

For more details please visit Institute's website: www.cancer.institute.edu.in

Executive Registrar

Advt No:- KSSSCI/ER/[illegible] Date: 19.08.2026

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सहारनपुर सम्भाग, सहारनपुर

पत्रांक - 728/ [illegible] / 2026-27 दिनांक 17 अगस्त, 2025

ई-निविदा विज्ञप्ति

[illegible]

(बी0सी0 गौतम) सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, सहारनपुर सम्भाग, सहारनपुर

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश
टेढ़ी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

[illegible]

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्

शीघ्र रजिस्ट्रेशन करें

लखनऊ में

संस्कृत साहित्य के साथ सिविल सेवा की तैयारी का सुनहरा अवसर

फ्री कोचिंग के साथ स्कॉलरशिप

महत्वपूर्ण तिथि
22 अगस्त से 15 सितम्बर, 2026

IAS
सत्र 2026-27 की परीक्षा हेतु

[illegible]

प्रवेश परीक्षा लखनऊ में आयोजित होगी।

कोचिंग कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

[illegible]

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
+91-9936469208 / +91-6390006920, 0522-4330139

COURT NOTICE

[illegible]

[illegible]

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6) / 9(1)] / [नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं) / गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक / बंधक / प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** / गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा / ऋणी / गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक / मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 31.07.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह **(उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता)**, श्री बाबर पुत्र श्री जमीर **(गारंटर)**।	बंधक आवासीय संपत्ति, खसरा संख्या 144 के भाग में स्थित, ग्राम जलालपुर गूजर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित। कुल क्षेत्रफल 106.22 वर्ग मीटर। (श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह के नाम)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11116, पृष्ठ संख्या 175 से 186, क्रम संख्या 12545, दिनांक 03.09.2022 को उप-पंजीयक कार्यालय- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँ:- पूर्वः घसीटा की आराजी, पश्चिमः 6 फीट चौड़ा रास्ता एवं अनीता की आराजी, उत्तरः कन्हैया का मकान, दक्षिणः अशोक की आराजी।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 (सी) रू0 10,26,313.27 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.07.2026 (डी) 04.11.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 4,96,000/- रू0 49,600/- रू0 10,000/-	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः नजीबाबाद चौक, बिजनौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री फूल सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह, **सह-ऋणी एंव बंधककर्ताः** श्रीमती इन्द्रेशा पत्नी श्री फूल सिंह, **सह-ऋणीः 1.** श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, **2.** श्रीमती बबीता पत्नी श्री रनवीर सिंह, **गारन्टरः** श्री अलोक कुमार पुत्र श्री राम अवतार अग्रवाल।	बंधक आवासीय मकान स्थित मौजा शेखपुर गढ़ू, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) सम्पत्ति स्वामी श्री फूल सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह एवं श्रीमती इन्द्रेशा पत्नी श्री फूल सिंह कुल माप 83.56 वर्गमीटर, रजिस्ट्रर्ड बही नं. 1, जिल्द नं. 1499, पेज 362 और अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 1604, क्रंमाक नं. 5358, पेज 419/422, दिनांक 19.08.2002, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) सीमाएँ- पूर्व- विक्रेता की आराजी, पश्चिम- शोभा देवी की आराजी, उत्तर- 15 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण- विक्रेता की आराजी।	(ए) 07.05.2026 (बी) रू0 17,72,868.70 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2026 (सी) रू0 18,06,349.51 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.07.2026 (डी) 13.07.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 17,32,000/- रू0 1,73,200/- रू0 20,000/-	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः रायपुर सादत, बिजनौर** श्रीमती अनीता पत्नी श्री ऋषिराम **(ऋणी एवं बंधककर्ता)** तथा श्री ऋषिराम पुत्र श्री परवीन सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा संख्या 144 का भाग, ग्राम जलालपुर गूदड़, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर। यह संपत्ति श्रीमती अनीता पत्नी श्री ऋषिराम के नाम है। यह संपत्ति बही संख्या 01, जिल्द संख्या 11116, पृष्ठ संख्या 187 से 198, क्रमांक 12546, दिनांक 02.09.2022 में दर्ज है तथा उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में पंजीकृत है। सीमाएँ: पूर्वः आराजी ऋषिराम एवं अन्य, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा मार्ग, उत्तरः आराजी कन्हैया, दक्षिणः आराजी अशोक।	(ए) 05.05.2026 (बी) रू0 9,99,930.35 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 30.04.2026 (सी) रू0 10,18,593.35 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.07.2026 (डी) 09.07.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 9,20,000/- रू0 92,000/- रू0 10,000/-	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः जलालाबाद, बिजनौर** श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री कमल कुमार **(ऋणी एवं बंधककर्ता)** तथा श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा संख्या 100 (GA) एवं 100 (GHA) का भाग, स्थित ग्राम जलालपुर गूदड़, लक्ष्मी नगर के निकट, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश), क्षेत्रफल 33.43 वर्ग मीटर। यह संपत्ति श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री कमल कुमार के नाम है। यह संपत्ति बही संख्या 01, जिल्द संख्या 11409, पृष्ठ संख्या 153 से 166, क्रमांक 4157, दिनांक 03.04.2023 में दर्ज है तथा उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में पंजीकृत है। सीमाएँ: पूर्वः 12 फीट चौड़ा मार्ग, पश्चिमः स्वामी का मकान, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि।	(ए) 05.05.2026 (बी) रू0 9,07,679.03 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 17.04.2026 (सी) रू0 9,31,110.03 + प्रभावी ब्याज दिनांक 17.08.2026 (डी) 09.07.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 3,87,000/- रू0 38,700/- रू0 10,000/-	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तो के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। **4.** ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉम **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थगित/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 21.08.2026 स्थान – बिजनौर प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूति लेनदार